2018/00195

मिसल नं0 37/2018 (रेफरेन्स) सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा बनाम गोपाल पुत्र उदा लश्करी नि0 भीमपुरा तहसील लाडपुरा .

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-11-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत रेफरन्स प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि ग्राम भीमपुरा (पटवार मण्डल धाकडखेडी) के पूर्व ख0 नं0 97 रकबा 1 बीधा 3 बिस्वा गैर मु0 तलाई के नाम दर्ज रिकार्ड था । जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 मे ख0 नं0 209 रकबा 0.21 है0 बालकिशन, नरेन्द्र पुत्रान बाबूलाल वगै0 लश्करी सा0 देह के खाता सं0 69 खातेदारी मे दर्ज कर दी गई जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है । अतः उक्त भूमि गै0 मु0 तलाई राजकीय खाते मे दर्ज करने का निवेदन किया गया । रेफरेन्स प्रा0 पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । आपके कार्यालय द्वारा तामील कुन्दाओं के अभाव के कारण नोटिस अदम तामील लौटा दिये गये । इस पर अप्रार्थी की तलबी हेतु जर्ये रजिस्ट्री नोटिस भिजवाये गये । अप्रार्थी की मूल रजिस्ट्री वापस न्यायालय मे प्राप्त हुई जिसमे अंकित किया है कि अप्रार्थी गोपाल की मृत्यु हो चुकी है । आपके द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स मे अप्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र उदा लश्करी नि0 भीमपुरा तहसील लाडपुरा अंकित किया है । जबकि संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 मे खाता सं0 69 खसरा नं0 209 रकबा 0.21 है0 ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा के खातेदार बालकिशन,नरेन्द्र पुत्रान बाबूलाल, अनिता पुत्री बाबूलाल, मनभर बाई पत्नि स्व0 बाबूलाल हि0 1/3 आशिष (नाबा0) पुत्र रामचन्द्र, तनु पुत्री रामचन्द्र, ललिता पत्नि स्व0 रामचन्द्र हि0 1/3 सत्यनारायण पुत्र गोपाल हि0 1/3 कौम लश्करी सा0 देह दर्ज रेकार्ड है । अप्रार्थी गोपाल पुत्र उदा लश्करी निवासी भीमपुरा तहसील लाडपुरा के कायम मुकामान की जानकारी प्राप्त करने हेतु इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/रीडर/एडीएम/2019/1060 दिनांक 29.10.2019 से तहसीलदार लाडपुरा को पत्र लिखा गया लेकिन आदिनांक तक कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है । अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेन्स इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में सभी अप्राथीगण (खातेदारान) का पूर्ण विवरण अंकित करते हुए सही पता अंकित करते हुए पुनः नये सिरे से उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल ही मय दस्तावेज तहसीलदार लाडपुरा को लौटाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो ।	

अतिरिक्त जिला कलेक्टर